संख्या-34/2016-1297/58-2016-130/2016

प्रेषक,

इन्दुबाला कटियार,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

उद्यान अनुभाग **लखनऊः दिनांक 10 मई 2016**

विषयः **अनुदान संख्या-10 के अन्तर्गत आयोजनागत पक्ष में संचालित उद्यान शाखा की लोहिया पर्यावरणीय उद्यान एवं पार्क योजना में वर्तमान वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष धनराशि के अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-3/बजट-आयोजनागत/2016-17, दिनांक 07.4.2016 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अनुदान संख्या-10 के अन्तर्गत आयोजनागत पक्ष में संचालित उद्यान शाखा की लोहिया पर्यावरणीय उद्यान एवं पार्क योजना में वर्तमान वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष रू0-11486 हजार (रूपये-एक करोड़ चौदह लाख छियासी हजार) मात्र को निम्नलिखित विवरण के अनुसार अधोलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

अनुदान सं0-10 **(धनराशि हजार रूपये में)**

लेखाशीर्षक/मानक का मद	**प्राविधानित धनराशि**	**अवमुक्त की जा रही धनराशि**
1	**2**	**3**
2406-वानिकी तथा वन्य जीव-आयोजनागत		
02-पर्यावरणीय वानिकी तथा वन्य जीव-		
112- सार्वजनिक उद्यान		
04- लोहिया पर्यावरणीय उद्यान एवं पार्क-		
02- मजदूरी	4252	4252
12- कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	20	20
42- अन्य व्यय	4000	4000
43- सामग्री एवं सम्पूर्ति	3214	3214
04 योग	**11486**	**11486**

(रूपये-एक करोड़ चौदह लाख छियासी हजार मात्र)

(1) अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय फेजिंग करते हुए किया जाय।

http://shasanadesh.up.nic.in

(2) अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय करने से पूर्व तैयार किये गये आगणन पर सक्षम अधिकारी का अनुमोदन एवं पूर्वानुमति अवश्य ही प्राप्त कर ली जायेगी।

(3) अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय आवंटित परिव्यय सीमा के भीतर किया जायेगा।

(4) अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय उन्हीं मदों पर किया जायेगा जिस हेतु स्वीकृति की जा रहा है। अन्य मदों पर किया गया व्यय वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी। जिसके लिए निदेशक उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण/वित्त नियंत्रक निदेशालय उद्यान तथा सम्बन्धित जनपदीय उद्यान अधिकारी उत्तरदायी होंगे।

(5) शासकीय व्यय में मितव्ययिता नितान्त आवश्यक है। वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी दिशा निर्देशों सहित मितव्ययिता के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेशों का पूर्णतया पालन किया जायेगा।

(6) धनराशि व्यय करने के पूर्व आवश्यकयतानुसार भण्डार क्रय नियमों एवं शासन के सुसंगत वित्तीय नियमों/निर्देशों का पालन पूर्णतया किया जायेगा।

(7) अतिरिक्त धनराशि की प्रत्याशा में अनाधिकृत एवं अधिक व्यय किसी भी दशा में नहीं किया जायेगा। व्यय आवंटित सीमा तक ही रखा जायेगा।

(8) अप्रयुक्त धनराशि यथासमय शासन को समर्पित की जायेगी।

(9) अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय विवरण प्रत्येक माह की 05 तारीख तक शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

(10) उक्त पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक में अनुदान सं0-10 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 2406-वानिकी तथा वन्य जीव-आयोजनागत-02-पर्यावरणीय वानिकी तथा वन्य जीव-112- सार्वजनिक उद्यान-04- लोहिया पर्यावरणीय उद्यान एवं पार्क में उल्लिखित मदों के नामें डाला जायेगा।

2- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 कार्यालय ज्ञाप सं0-1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016 दिनांक 22.3.2016 में प्रदत्त अधिकारों के अधीन निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(इन्दुबाला कटियार)
उप सचिव।

<u>संख्या: 34/2016-1297(1)/58-2016, तददिनांक</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

(1) महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी), प्रथम, उ0प्र0 इलाहाबाद।
(2) सम्बन्धित मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
(3) वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन।
(4) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन।
(5) वित्त नियंत्रक, निदेशालय उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
(6) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(इन्दुबाला कटियार)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

http://shasanadesh.up.nic.in